सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या - 10   राँची, बुधवार

7 जुलाई, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 137–144

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 जून, 2021

संख्या-1/विविध-804/2020 का०-2505--श्री सतीश चन्द्र चौधरी, भा.प्र.से. (झाः2012), संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 30.03.2021 से 23.04.2021 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों के लिए रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 जून, 2021

संख्या-1/विविध-831/2019 का०- 2536-- श्री लोकेश मिश्रा, भा.प्र.से. (झाः2016), अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, राँची को :-

1. कोविड-19 से संक्रमित होने पर दिनांक 02.04.2021 से 01.05.2021 तक 30 दिनों के लिए **Quarantin** अवकाश तथा

2. अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत चिकित्सीय आधार पर दिनांक 02.05.2021 से 06.06.2021 तक कुल 36 दिनों के रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

7 जून, 2021

संख्या-1/विविध-804/2020 का०-2537--विभागीय अधिसूचना संख्या-2505 दिनांक 02.06.2021 के द्वारा श्री सतीश चन्द्र चौधरी, भा.प्र.से. (झाः2012), संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड को स्वीकृत दिनांक 30.03.2021 से 23.04.2021 तक के रूपान्तरित अवकाश के क्रम में दिनांक 24.04.2021 से 28.04.2021 तक के लिए कुल 05 दिनों का अतिरिक्त रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 जून, 2021

संख्याः-9/ स्था० विविध-32/2013 का० 2515--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 की सं0- 22) के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित विषयों के संबंध में इस विभाग में याचना के आधार पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के निमित्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-54 दिनांक-19.04.2021 द्वारा जन सूचना पदाधिकारी का कार्य आवंटित किया गया है । उक्त आदेश की निर्गत तिथि से श्री अनल प्रतीक मिंज, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक जन सूचना पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा नामित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राज कुमार,
सरकार के अवर सचिव

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

संकल्प

6 जुलाई,2021

विषय- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के लिए Corpus Fund के गठन की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-03/यो०सह० बजट (किसान राहत कोष)-06/2020-558--विभागीय संकल्प संख्या-18 दिनांक-07.01.2021 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रचालन मार्गनिर्देशिका को अधिसूचित किया गया है ।

किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्न कंडिका का समावेश उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित प्रचालन मार्गनिर्देशिका के क्रमांक-23 की कंडिका-02 को निम्न रूप से संशोधित व प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"योजना के चक्रीय और निरंतर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य के किसानों की फसलों की क्षति होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु 25 (पच्चीस) करोड़ रूपये का एक Corpus Fund का गठन किया जायेगा। इसके लिए झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक में अलग से एक बैंक खाता खोला जायेगा, जिसका नियंत्रण इस योजना के राज्य नोडल पदाधिकारी-सह-निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा ।

सामान्यतः Corpus Fund अक्षुण्ण रहेगा । इस फण्ड से अर्जित ब्याज से राज्य के किसानों की फसलों की क्षति होने की स्थिति में तत्काल राहत के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। किन्तु विशेष परिस्थिति में क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार Corpus Fund के मूलधन का भी उपयोग किया जायेगा एवं जितने मूलधन राशि का उपयोग किया जायेगा उतनी राशि अगले वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध के द्वारा Corpus Fund में पुनः पूर्ति (Replenish) कर दी जायेगी ।"

2. उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.06.2021 के मद संख्या 07 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.
सरकार के सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं OM PRAKASH PRASAD GUPTA पिता SHEO PUJAN PRASAD, शपथ पत्र सं० 349, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के अनुसार OM PRAKASH GUPTA के नाम से जाना जाऊँगा ।

OM PRAKASH PRASAD GUPTA एवं OM PRAKASH GUPTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PERMANENT RESIDENT-- SECTOR-12/B,
QR.NO.-3124,
P.O.- SECTOR-12,
P.S.- SECTOR-12,
DIST.-BOKARO, (JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUSHIL MAHESHWARI पिता SHYAM SUNDER SOMANI शपथ पत्र सं० 269, दिनांक 24 फरवरी, 2020 के अनुसार SUSHIL KUMAR SOMANI के नाम से जाना जाऊँगा।

SUSHIL MAHESHWARI एवं SUSHIL KUMAR SOMANI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- J.J.ROAD, BYE LANE,
UPPER BAZAR,
RANCHI, (JHARKHAND)
PIN-834001

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MD. FAIYAZ AHMAD पिता LATE NEZAM KHAN शपथ पत्र सं० 1205, दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 के अनुसार FAIYAZ KHAN के नाम से जाना जाऊँगा ।

MD. FAIYAZ AHMAD एवं FAIYAZ KHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- LOK VIHAR COLONY,
OPPOSITE LALPUR THANA,
H.B. ROAD, RANCHI,
P.O.- LALPUR,
P.S.- LALPUR,
DISTRICT- RANCHI,
STATE- JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KEDAR NATH MAHATO पिता SRI PARSHU RAM MAHTO शपथ पत्र सं० 84, दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुसार KEDAR NATH MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा ।

KEDAR NATH MAHATO एवं KEDAR NATH MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- SECTOR-III/D, Qtr.NO.-0537,
BOKARO STEEL CITY,
DISTT.- BOKARO, (JHARKHAND)
PIN- 827003

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DEV DULAL पिता LATE RAM LOCHAN MAJHI शपथ पत्र सं० 5113, दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के अनुसार DEV DULAL MAJHI के नाम से जाना जाऊँगा ।

DEV DULAL एवं DEV DULAL MAJHI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- VILLAGE- DEBAGRAM ,
P.O.- MALKERA,
P.S.- KATRASGARH,
DISTT.- DHANBAD,
PIN- 828304, (JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं AJMERI KHATUN पति MD. KAMRUDDIN, शपथ पत्र सं० 275, दिनांक 9 सितम्बर, 2020 के अनुसार AZMERI KHATOON के नाम से जानी जाऊँगी ।

AJMERI KHATUN एवं AZMERI KHATOON दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- Qtr.NO.-540,
SECTOR-3/A,
P.O.- SECTOR-3,
P.S.- BOKARO STEEL CITY,
DISTT.- BOKARO, (JHARKHAND)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 10 -- 50 ।